न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात।

परिवाद सं०–820/2020

अखलेश कुमार बनाम मो० जुलफिकार।

दिनांक 24/02/2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

परिवाद पत्र के संक्षेप में कथन है कि परिवादी ट्रक चलवाने का धन्धा करता है परिवादी के पास भी ट्रक है और विपक्षी भी ट्रक चलवाता है चूंकि धन्धा एक होने के कारण परिवादी का विपक्षी से अक्सर मिलना जुलना होता था तथा आपसी सम्बंध प्रगाण हो गये थे तथा परिवादी व विपक्षी एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। दि०–20/11/2019 को विपक्षी, परिवादी के घर पर आया और परिवादी से विपक्षी ने 2,45,000/रु० उधार माँगा इस पर परिवादी ने विपक्षी को उक्त 2,45,000/रु० नकद दे दिया विपक्षी ने कहा कि आवश्यकता पूरी हो जाने पर छः माह बाद उधार धन वापस कर देंगे। परिवादी ने विपक्षी से माह जून 2020 में उधार रुपया माँगा तो विपक्षी ने अपने खाता सं० – 20165714112 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मूसानगर कानपुर देहात की एक चेक सं० – 371378 कीमती 2,45,000/रु० दि०–15.06.2020 की काट कर दी। परिवादी ने उक्त प्रश्नगत चेक को अपने खाता सं० –37993112268 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भोगनीपुर कानपुर देहात में दि०–24/07/2020 को प्रस्तुत की थी। परिवादी का उक्त चेक बैंक द्वारा अनादरित होकर दि०–24/07/2020 को विपक्षी के खाता में पर्याप्त धनराशि न होने एवं चेक पर बना हस्ताक्षर डिफर होने की आख्या के साथ प्राप्त हुई । परिवादी ने चेक के अनादरित होने की मौखिक सूचना भी दी परन्तु विपक्षी ने चेक पर अंकित धनराशि का संदाय नहीं किया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29/07/2020 को लीगल नोटिस दिया जो कि विपक्षी को प्राप्त हुई। विपक्षी ने नोटिस प्राप्त करने के पन्द्रह दिन के अन्दर उक्त धनराशि की व्यवस्था नही की और न ही उक्त धनराशि अदा की। तब परिवादी ने प्रश्नगत चेक पर अंकित राशि उसको दिलाकर विपक्षी को दण्डित किये जाने की याचना की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अपना साक्ष्य शपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल चेक, बाउंस मेमो की मूलप्रति, लीगल नोटिस की छायाप्रति व डाक रसीद की मूलप्रति तथा आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रलेखों, मूल चेक, रिर्टन मेमो, लीगल नोटिस जो विधिक रूप से समय सीमा के अन्दर दिये गये हैं, के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विपक्षी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विपक्षी मो० जुलफिकार को धारा 138 एन.आई एक्ट विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब हो। पैरवी उपरान्त विपक्षी के विरुद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी विपक्षी दि० – 25/03/2021 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात